

28.01.25


Not Recd

राजेश कुमार

राजेश

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा शब्द  
ग्रन्थ का निवेदन किया गया कि वादी इस  
वाक्य में कौन कौन कर्षवाही नहीं करना  
चाहता है। नोट उस के आधार पर पुनः वाद  
पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए  
इसी स्तर पर खालि किया जाये। वादी  
का शब्द स्वीकार करते हुए वादी का  
पुनः वाक्य पेश करने का अधिकार सुरक्षित  
रखते हुए नोट उस के आधार पर इसी स्तर  
पर खालि किया जाता है। पत्रावली बाद  
तरीख तकनीक केक शब्दिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर लुटे न्यायालय  
में बुनाया गया।

  
(दीपक चन्दन)  
R.A.S.